

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2813

बुधवार, 20 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए  
स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

2813. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय संपूर्ण स्टार्टअप परिवेश तंत्र के लिए एकल कार्यान्वयन निकाय बनाने की योजना बना रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या मंत्रालय देश के प्रमुख जिलों अर्थात् टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप परिवेश का विकेन्द्रीकरण और विस्तार करने के लिए कोई प्रयास कर रहा है;
- (ग) यदि हां, तो राजस्थान में जिला-वार स्टार्ट-अप सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) मंत्रालय द्वारा कृषि आधारित स्टार्टअप्स की उपस्थिति का विस्तार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री सोम प्रकाश)

- (क) : सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सुदृढ़ इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना की शुरुआत भी की है, जिसमें देश में जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए परिकल्पित स्कीमों और प्रोत्साहन शामिल हैं।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के जरिए स्टार्टअप्स से संबंधित मामलों हेतु उत्तरदायी विभाग है इसलिए यह स्टार्टअप इंडिया पहल को कार्यान्वित करता है तथा कार्यक्रमों का लागू करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय करता है जिससे स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के उद्देश्य प्राप्त होते हैं।

- (ख) और (ग) : दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 की स्थिति के अनुसार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 1,14,902 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। इन मान्यताप्राप्त स्टार्टअप में से 45 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप टियर 2 और 3 शहरों से हैं। उक्त पहल के तहत कार्यान्वित उपाय समावेशी हैं तथा इन्हें सभी

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी), शहरों, नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। ऐसे उपायों की सूची अनुबंध-I में दी गई है।

दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 की स्थिति के अनुसार, विशेष रूप से राजस्थान राज्य में डीपीआईआईटी द्वारा मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स की कुल संख्या 4,029 है। राजस्थान राज्य के मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) : सरकार ने देश में अनेक क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विभिन्न प्रयास किए हैं। ऐसे उपायों की सूची अनुबंध-I में दी गई है।

विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के तहत अनेक उपाय किए हैं। ऐसे उपायों का ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

परिणामस्वरूप, 31 अक्टूबर, 2023 की स्थिति के अनुसार, देश में डीपीआईआईटी द्वारा मान्यताप्राप्त कृषि स्टार्टअप्स की कुल संख्या 6,224 है।

\*\*\*\*\*

दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2813 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सरकार द्वारा पूरे देश में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत किए गए विभिन्न उपायों का व्यौरा निम्नानुसार है:

1. **स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना:** स्टार्टअप इंडिया के लिए 16 जनवरी, 2016 को एक कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। इस कार्य योजना के अंतर्गत "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण समर्थन और प्रोत्साहन" और "उद्योग-अकादमिक क्षेत्र साझेदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैली 19 कार्य मदें शामिल हैं। इस कार्य योजना ने देश में एक ऊर्जावान स्टार्टअप इकोसिस्टम के सृजन के लिए सरकारी सहायता, स्कीमों और प्रोत्साहनों की नींव रखी।
2. **स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह:** स्टार्टअप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह का शुभारंभ 16 जनवरी, 2021 को किया गया, जिसमें स्टार्टअप के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोत्साहन के लिए कार्रवाई योग्य योजना, विभिन्न सुधारों को लागू करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका, हितधारकों का क्षमता निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम बनाना शामिल है।
3. **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस):** किसी उद्यम के विकास के आरंभिक स्तरों पर उद्यमों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता अनिवार्य है। इस स्तर पर अपेक्षित पूंजी, बेहतर व्यवसाय आइडिया वाले स्टार्टअप के लिए बने रहने या समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न कर देती है। इस स्कीम का उद्देश्य संकल्पना के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 से आरंभ करके 4 वर्षों की अवधि के लिए एसआईएसएफएस स्कीम के अंतर्गत 945 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
4. **स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) स्कीम:** सरकार ने स्टार्टअप की निधियन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ एफएफएस स्थापित किया है। डीपीआईआईटी एफएफएस की मानीटरिंग एजेंसी है तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इसकी प्रचालन एजेंसी है। 10,000 करोड़ रुपये के कुल कॉर्पस को स्कीम की प्रगति और निधि की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसने न सिर्फ प्रारंभिक चरण में, शुरुआती स्तर और विकास स्तर पर स्टार्टअप के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है बल्कि घरेलू पूंजी एकत्र करने की सुविधा के संदर्भ में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम किया है और घरेलू रूप से विकसित और नए वेंचर कैपिटल फंडों को बढ़ावा दिया है।
5. **स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस):** सरकार ने सेबी द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वेंचर डेट फंड्स (वीडीएफ) द्वारा डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। सीजीएसएस का उद्देश्य, पात्र उधारकर्ताओं जैसे डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा एक निर्दिष्ट सीमा तक दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।
6. **विनियामक सुधार:** ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, पूंजी जुटाने को आसान बनाने और स्टार्टअप परिवेश पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वर्ष 2016 से सरकार ने 55 से अधिक विनियामक सुधार किए हैं।
7. **अधिप्राप्ति को आसान बनाना:** अधिप्राप्ति को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने वाले सभी स्टार्टअप

- के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति में पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव की शर्तों में छूट प्रदान करें। इसके अलावा, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम), सरकार द्वारा स्टार्टअप्स से उत्पादों और सेवाओं की खरीद की सुविधा को भी बढ़ावा देता है।
8. **श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन:** स्टार्टअप्स को निगमन की तारीख से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए, 9 श्रम और 3 पर्यावरण कानूनों के तहत अपने अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति है।
  9. **3 वर्ष के लिए आयकर में छूट:** 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्टअप्स आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्राप्त है, उन्हें निगमन से लेकर 10 वर्ष की अवधि के दौरान लगातार 3 वर्षों के लिए आयकर से छूट मिलती है।
  10. **स्टार्टअप के लिए त्वरित निकास:** सरकार ने स्टार्टअप्स को 'फास्ट ट्रैक फर्म' के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे वे अन्य कंपनियों के लिए निर्धारित 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों के भीतर प्रचालन का समापन करने में सक्षम होते हैं।
  11. **अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (vii) (ख) के प्रयोजन के लिए छूट (2019):** डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप, आयकर अधिनियम की धारा 56(2) (vii) (ख) के प्रावधानों से छूट के पात्र हैं।
  12. **बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहायता:** स्टार्टअप पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच और निपटान के लिए पात्र हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) की शुरुआत की है जो स्टार्टअप्स को पंजीकृत सुविधा प्रदाताओं के जरिए उपयुक्त आईपी कार्यालयों में केवल सांविधिक शुल्क का भुगतान करके पेटेंट डिजाइन तथा व्यापार चिह्न के लिए आवेदन फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत सुविधा प्रदाता विभिन्न आईपीआर संबंधी सामान्य परामर्श तथा अन्य देशों में आईपीआर का संरक्षण एवं संवर्धन करने संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार पेटेंट, व्यापार चिह्न अथवा डिजाइन के लिए सुविधा प्रदाताओं के पूरे शुल्क को वहन करती है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो तथा स्टार्टअप्स केवल देय सांविधिक शुल्क की लागत को वहन करते हैं। स्टार्टअप्स को अन्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट फाइल करने में 80 प्रतिशत की छूट तथा व्यापार चिह्न फाइल करने में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।
  13. **स्टार्टअप इंडिया हब :** सरकार ने 19 जून 2017 को एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब का शुभारंभ किया है, जो भारत में उद्यमिता परिवेश के सभी हितधारकों के लिए अपनी तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ताकि वे एक-दूसरे का पता लगा सकें, परस्पर जुड़ सकें और मिलकर कार्य कर सकें। यह ऑनलाइन हब स्टार्टअप्स, निवेशकों, फंड्स, मेंटर्स, शैक्षणिक संस्थानों, इंक्यूबेटर्स, कॉर्पोरेट, सरकारी निकायों और अन्य को होस्ट करता है।
  14. **भारतीय स्टार्टअप्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच:** स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक, विभिन्न संपर्क मॉडलों के जरिए भारतीय स्टार्टअप परिवेश को वैश्विक स्टार्टअप परिवेशों के साथ जुड़ने में मदद करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय रूप से सरकार से सरकार के बीच भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी तथा वैश्विक समारोहों के आयोजन के जरिए किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने 20 से अधिक देशों के साथ संपर्क स्थापित किया है, जो भागीदार राष्ट्रों के स्टार्टअप्स के लिए सुविधाजनक प्लेटफॉर्म और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है।
  15. **स्टार्टअप इंडिया शोकेस :** स्टार्टअप इंडिया शोकेस वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित विभिन्न स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए, देश के सर्वाधिक संभावना वाले स्टार्टअप्स के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शाए गए स्टार्टअप अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम स्टार्टअप के रूप में उभरे हैं। ये नवप्रयोग, अन्य के साथ-साथ फिनटेक, एंटरप्राइजटेक, सामाजिक प्रभाव, हेल्थटेक, एडटेक जैसे विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों से हैं। इन स्टार्टअप्स ने महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया है और अपने संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट नवप्रयोग दर्शाया है। परिवेश संबंधी

- हितधारकों ने इन स्टार्टअप को पोषित किया है और सहायता प्रदान की है और इस प्रकार इस प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति के महत्व को रेखांकित किया है।
16. **राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद** : सरकार ने देश में नवप्रयोग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त परिवेश के निर्माण हेतु आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए जनवरी, 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद को अधिसूचित किया ताकि सतत आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन किया जा सके। पदेन सदस्यों के अतिरिक्त इस परिषद में कई गैर-सरकारी सदस्य हैं, जो स्टार्टअप परिवेश के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  17. **राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए)** : राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम इनेबलर्स की पहचान करने और पुरस्कृत करने की पहल है, जो अभिनव उत्पादों या समाधानों और विस्तारयोग्य उद्यमों का विकास कर रहे हैं, जिनमें रोजगार सृजन या संपर्कित सृजन की अत्यधिक क्षमता है और जो माप-योग्य सामाजिक प्रभाव दर्शा रहे हैं। सभी अंतिम प्रतिभागियों को विभिन्न मामलों यथा निवेशक कनेक्ट, मेंटरशिप, कापॉरिट कनेक्ट, गवर्नमेंट कनेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच, विनियामक सहायता, दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियन और स्टार्टअप इंडिया शोकेस आदि के संबंध में सहायता प्रदान की जाती है।
  18. **राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ)** : यह प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत का दोहन करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप परिवेश बनाने के लिए राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क अपनी तरह की पहली पहल है। रैंकिंग करने का प्रमुख उद्देश्य, बेहतर कार्य पद्धतियों की पहचान करने, उनसे सीखने और दोहराने के लिए राज्यों को सुविधा प्रदान करना, स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा किए गए नीतिगत कार्यकलापों पर प्रकाश डालने और सर्वोत्तम स्टार्टअप परिवेश तैयार करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।
  19. **दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियन** : दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला स्टार्टअप चैंपियन कार्यक्रम, एक घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम है, जिसमें पुरस्कार विजेता/राष्ट्रीय स्तर के मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स की कहानियों को कवर किया जाता है। इसे दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर हिन्दी और अंग्रेज़ी में प्रसारित किया गया है।
  20. **स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह** : सरकार, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात् 16 जनवरी के आस-पास स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह का आयोजन करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, निधीयन इकाइयों, बैंकों, नीति निर्माता और अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को उद्यमियता और नवप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस समारोह में एक साथ लाना है।
  21. **एसेन्ड** : एसेन्ड (स्टार्टअप क्षमता और उद्यमियता उत्साह को बढ़ाना) के तहत सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के स्टार्टअप्स और उद्यमियता के संबंध में जागरूकता हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य उद्यमियता के प्रमुख पहलुओं के संबंध में क्षमता बढ़ाना एवं ज्ञान में वृद्धि करना तथा इन राज्यों में एक सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम का सृजन करने के लिए निरंतर प्रयास करना है।
  22. **स्टार्टअप इंडिया इनवेस्टर कनेक्ट पोर्टल** जिसे सिडबी के साथ मिलकर स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विकसित किया गया है, एक अंतर्वर्ती प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो स्टार्टअप्स और निवेशकों को आपस में जोड़ता है ताकि विभिन्न उद्योगों, संचालनों, स्तरों, क्षेत्रों तथा पृष्ठभूमि से जुड़े उद्यमियों को पूंजी एकत्र करने में सहायता प्रदान कर सके। इस पोर्टल को बनाने का उद्देश्य, विशेष रूप से देश में किसी भी स्थान पर स्थित शुरुआती स्तर के स्टार्टअप्स को अग्रणी निवेशकों/वेचर कैपिटल फंड के समक्ष खुद को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है।
  23. **नेशनल मेंटरशिप पोर्टल (मार्ग)** : देश के सभी हिस्सों में स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप की उपलब्धता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मेंटरशिप, परामर्श, सहायता, सुदृढीकरण और विकास (मार्ग) कार्यक्रम का विकास और शुभारंभ किया गया है।

24. **सपनों की उड़ान अभियान:** इसकी परिकल्पना और शुरुआत उन जिलों को लक्षित करने के लिए की गई थी जहां मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या सीमित है। इसमें आउटरीच के लिए राज्य सहायता सहित ईमेलर्स, सोशल मीडिया पोस्ट के रूप में इन क्षेत्रों तक आउटरीच शामिल है।
25. **स्टार्टअप इंडिया यात्रा पहल:** इसे भी उद्यमिता प्रतिभा को खोजने और उनके आसपास स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास में सहायता करने के लिए भारत के टियर 2 और 3 शहरों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। गैर-महानगरीय शहरों के उद्यमियों का मार्गदर्शन किया गया तथा ख्यातिप्राप्त संस्थाओं से इन्क्यूबेशन और मेंटरशिप के जरिए उनकी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने एवं उनके क्षेत्र में संबंधित संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-II

दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2813 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य में मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स का जिला-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जिला	डीपीआईआईटी द्वारा मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या
1.	अजमेर	165
2.	अलवर	157
3.	बंसवाड़ा	18
4.	बारन	8
5.	बाड़मेर	35
6.	भरतपुर	24
7.	भीलवाड़ा	66
8.	बीकानेर	82
9.	बूंदी	14
10.	चित्तौड़गढ़	46
11.	चूरु	33
12.	दौसा	18
13.	धौलपुर	17
14.	डूंगरपुर	17
15.	गंगानगर	32
16.	हनुमानगढ़	40
17.	जयपुर	2,188
18.	जैसलमेर	4
19.	जालौर	12
20.	झालवाड़	14
21.	झुंझुनू	64
22.	जोधपुर	302
23.	करौली	15
24.	कोटा	171
25.	नागौर	46

26.	पाली	45
27.	राजसमंद	16
28.	सवाई माधोपुर	18
29.	सीकर	52
30.	सिरोही	28
31.	टोंक	15
32.	उदयपुर	266
33.	विनिर्दिष्ट नहीं	1
कुल		4,029

\*\*\*\*\*



दिनांक 20 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2813 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का व्यौरा निम्नानुसार है:

1. स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत उठाए जा रहे कदम:
  - i. कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड सेक्टर टीम बनाई गई है जो मेंटरशिप सत्रों का आयोजन करके स्टार्टअप की सहायता करते हैं।
  - ii. कृषि स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड सेक्टर टीम, संगत हितधारकों की मैपिंग करने और नए स्कीमों और/अथवा नीतियों की पहचान करने में भी शामिल है, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे स्टार्टअप के लिए उपयोगी होने की क्षमता रखते हैं।
  - iii. कृषि स्टार्टअप को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों (एनएसए) में अनेक श्रेणियां हैं। एनएसए 2021 के लिए कृषि स्टार्टअप अनेक श्रेणियों में भागीदारी कर सकते हैं: (i) सिंचाई; (ii) किसान शिक्षा और संबद्धता; (iii) फसल कटाई पश्चात् क्रियाकलाप; और (iv) उत्पादकता। इसके अलावा, कृषि स्टार्टअप में नवप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एनएसए 2023 में एक नई श्रेणी शुरू की गई है नामतः 'कृषि और पशुपालन के लिए नवप्रयोगकर्ता'।
2. **राष्ट्रीय कृषि नवप्रयोग निधि:** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) द्वारा कार्यान्वित, यह निधि आईसीएआर नेटवर्क में इन्क्यूबेशन गतिविधियों के तहत कृषि से संबंधित स्टार्टअप को बढ़ावा देती है, जिसमें देशभर के 50 संस्थानों में कृषि-व्यवसाय इन्क्यूबेशन (एबीआई) केंद्र स्थापित किए हैं। इन एबीआई को कृषि प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और कौशल उन्नयन के लिए अवसरचना उपलब्ध कराई जाती है, जिससे व्यवहार्य उद्यमों और टिकाऊ स्टार्ट-अप व्यवसाय संचालन व्यवसाय जैसे व्यवसाय प्लानिंग; कार्यालय स्थान; और प्रबंधन विपणन, तकनीकी और वित्तीय मुद्दों पर सलाह; और साझा संसाधन, उपकरण और तकनीकी सहायता सेवाओं को बढ़ावा मिलता है। साथ ही, यह निधि कृषि स्टार्टअप को तकनीकी सत्यापन, मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता की सुविधा प्रदान करता है।
3. **आरकेवीवाई-रफ्तार:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ्तार) के तहत "नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके और देश में इन्क्यूबेशन इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करके नवप्रयोग और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत, स्टार्टअप कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे कृषि-प्रसंस्करण, खाद्य प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी (बीसीटी), सटीक खेती और डिजिटल कृषि आदि के विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं।  
  
इस कार्यक्रम के तहत, संभावित स्टार्टअप को उनके उत्पादों, सेवाओं, व्यापार प्लेटफार्मों आदि को लॉन्च करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें व्यावसायिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादों और प्रचालन को बढ़ाने की सुविधा प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के तहत नियुक्त आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर (आर-एबीआई) केंद्रों में स्टार्टअप को प्रशिक्षित और इनक्यूबेट किया जाता है।
4. **जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी):** जैव प्रौद्योगिकी विभाग अपनी विशेष केंद्रीय समर्थकारी एजेंसी के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल (चिकित्सा उपकरण, निदान, बायोफार्मा, टीके, जीन थेरेपी, अन्य), एग्रीटेक सॉल्यूशन, पोषण और खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण एंजाइम और जैव ईंधन आदि सहित बायोटेक क्षेत्र में स्टार्टअप और उद्यमियों की सहायता कर रहा है। बीआईआरएसी ने बायोटेक क्षेत्र में स्टार्टअप और उद्यमियों की सुविधा के लिए देशभर में एक मजबूत इकोसिस्टम और सहायता तंत्र स्थापित किया है।

5. **किसान मेला:** कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) कृषि-स्टार्टअप से भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए विभिन्न स्थानों पर किसान मेले का आयोजन कर रहा है। इस तरह के आयोजन से कृषि स्टार्टअप्स को किसानों के सामने अपने बिजनेस आइडिया दिखाने का अवसर मिलता है। इस तरह का आयोजन, केंद्र और राज्य सहित विभिन्न प्रमुख हितधारकों, सरकारी अधिकारी, स्टार्टअप, एफपीओ, किसान, शिक्षाविदों के साथ-साथ कृषि-व्यवसाय इन्क्यूबेटर, इस आयोजन में कृषि-स्टार्टअप हितधारकों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं, अपने नवाचारों का विपणन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और निवेशकों से धन की मांग कर सकते हैं। यह कार्यक्रम, स्टार्टअप्स को अपने समकक्ष स्टार्टअप्स से सीखने और किसानों के समर्थन में साझा विचारों का अवसर प्रदान करता है।
6. **एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज:** विभिन्न क्षेत्रों में नई अवधारणाओं और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया और कृषि मंत्रालय की ओर से एक ग्रैंड चैलेंज का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावनापूर्ण राह तलाशने के लिए प्रतिभाशाली और रचनात्मक नवप्रयोगों की मदद करते हुए सर्वोत्तम मौलिक अवधारणाओं को वित्तपोषित करके प्रौद्योगिकी आधार को सुदृढ़ बनाना था।
7. **क्षेत्र विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र (सीओई):** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने तथा नए और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का इस्तेमाल करने के लिए क्षमता निर्माण करने हेतु राष्ट्रीय हित के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को संचालनरत बनाया है। ये क्षेत्र विशिष्ट सीओई नवप्रयोग को जनसाधारण तक पहुंचाने और प्रोटोटाइप के इस्तेमाल के जरिए, उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत को नवप्रयोग केंद्र बनाने में इनेबलर्स और सहायक के रूप में कार्य करते हैं।

\*\*\*\*\*